"हर काम देश के नाम"

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/34068/ए–7/मुप्रअ/भर्ती–3

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(संयुक्त सचिव एव मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय)

कमरा संख्या 174, ई– ब्लॉक
दारा शुकोह रोड,
नई दिल्ली– 110011

दिनांक : 24 जून 2020

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव
सभी केन्द्र शसित प्रदेशों के प्रमुख सचिव

विषयः रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थलसेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में लेखा सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी), के पॉच पदों एवं लेखा सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर भरे जाने हेतु। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थलसेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, नई दिल्ली में लेखा सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी), के पॉच पदों एवं लेखा सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन एवं भूर्तपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है। इस पद का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः–

पद का नाम, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रिक्तियों की संख्या	पात्रता शर्ते एवं योग्यता
लेखा सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी), साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5	05 (पॉच)	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी– (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 में नियमित आधार पर नियुक्तिके पश्चात उस श्रेणी में पॉच वर्ष सेवा की हो; और

		(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात् :– <u>आवश्यक</u> : (i) उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य एक विषय के रूप में के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से स्नातक और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संध राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी संगठन या विभाग में लेखा तथा बजट कार्य में एक वर्ष का अनुभव; या (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित 'रोकड़ और लेखा' पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या (iii) भारतीय लागत लेखा संस्थान या भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान की इंटरमिडिएट परीक्षा या समतुल्य परीक्षा पास की हो; या (iv) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा या समतुल्य परीक्षा पास की हो। <u>वांछनीय</u> : (i) कम्पयूटर पर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का कार्य ज्ञान। (ii) रक्षा सेवाओं और रक्षा सेवा प्राक्कलनों तथा रक्षा उपापन निर्देशिका (डीपीएम), में लागू आधारिक नियमों, साधारण वित्तीय नियमों का कार्य ज्ञान, रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन द्वारा अनुसरण किये जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं का अभिदर्शन।
लेखा सहायक (कनिष्ठ श्रेणी), **साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय** **वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4**	**02 (दो)**	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संध राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी– **(क)** (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 में नियमित आधार पर नियुक्तिके पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और

		(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात् :– आवश्यक : (i) उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य एक विषय के रूप में के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से स्नातक और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संध राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी संगठन या विभाग में लेखा तथा बजट कार्य में एक वर्ष का अनुभव; या (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित 'रोकड़ और लेखा' पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या (iii) भारतीय लागत लेखा संस्थान या भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान की इंटरमिडिएट परीक्षा या समतुल्य परीक्षा पास की हो; या (iv) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा या समतुल्य परीक्षा पास की हो। वांछनीय : (i) कम्पयूटर पर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का कार्य ज्ञान। (ii) रक्षा सेवाओं और रक्षा सेवा प्राक्कलनों तथा रक्षा उपापन निर्देशिका (डीपीएम), में लागू आधारिक नियमों, साधारण वित्तीय नियमों का कार्य ज्ञान, रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन द्वारा अनुसरण किये जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं का अभिदर्शन।

4. **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** :

कनिष्ठ कमिशन अधिकारी के स्तर तक के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिन्होंने सेना, नौसेना या वायु सेना लिपिक प्रशिक्षण (साधारण कर्तव्य लिपिक प्रशिक्षण) पूरा किया हो और जिनके पास लोक निधि लेखा और बजट आबंटन या लेखा कार्य में एक वर्ष का अनुभव हो और यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारिख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारिख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 : यदि पद पर वास्तविक किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिये गये हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी।

टिप्पण 2 : पुनर्नियोजन सिविल पद की बावत अधिवार्षिता की आयु तक दिया जाएगा।